न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 144/2019 निर्णय दिनांक :– 28.2.20

उनवान

1. कानाराम पुत्र श्री जगन्नाथ जाति जाट, निवासी ग्राम कुम्हारियावास, तहसील चांकसू, जिला जयपुर, राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1. अर्जून पुत्र रामकरण तथाकथित फर्जी दत्तक पुत्र रामेश्वर
2. महेश पुत्र रामकरण तथाकथित फर्जी दत्तक पुत्र रामेश्वर
3. रामप्रसाद पुत्र रामकरण तथाकथित फर्जी दत्तक पुत्र रामेश्वर

   जातियान जाट, निवासीगण निवासी ग्राम कुम्हारियावास , तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक, चाकसू पंजीयनकार्यालय, चाकसू जिला जयपुर, राजस्थान ।
6. रामकरण पुत्र स्व0 जगन्नाथ

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

7. मु0 बरंजी पत्नि रामकरण

8. मु0 नानी उर्फ कानी पत्नि कानाराम

9. जैराम पुत्र श्रीराम

10. नानचीलाल पुत्र श्रीराम

11. धापूदेवी पत्नि स्व0 जगन्नाथ

जातियान जाट, निवासीगण ग्राम कुम्हारियावास, तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान।

12. सन्ती पुत्री स्व0 जगन्नाथ (पत्नि श्री जगदीश प्रसाद जोतड)

13. मौहरी पुत्री स्व0 जगन्नाथ (पत्नि श्री रामप्रसाद जोतड)

जातियान जाट, निंवासीगण जम जोतड़ावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

14. विजया बैंक शाखा तीतरिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक ।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सीपीसी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त उनवानी दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है जो ठोस, सारवान तथ्यो एंव प्रलेखीय साक्ष्यों पर आधारित है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है।

राजस्व ग्राम तीतरिया, पटवार हल्का तीतरिया, भू0अ0 निरीक्षक क्षैत्र तीतरिया तहसील चाकसू, जिला जयपुर की सीमा में आराजी खसरा नम्बर 2665 रकबा 0.28 कुल किता 1 कुल रकबा 0. 28 हैक्टेयर स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या नया 58 के अन्तर्गत उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी कानाराम हिस्सा 1/3, अप्रार्थी संख्या 6 रामकरण हिस्सा 1/3 एवं प्रार्थी का भाई स्व0 रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3 दर्ज एवं अंकित चला आ रहा है।

इसी प्रकार राजस्व ग्राम तीतरिया की सीमा में ही खसरा नम्बर 2497 रकबा 0.53 है0 खसरा नम्बर 2498 रकबा 0.05 है0 खसरा नम्बर 2499 रकबा 0.77 है0 खसरा नम्बर 2666 रकबा 0. 29 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.64 है0 स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या नया 343 पुराना 317 के अन्तर्गत उक्त आराजीयात की खातेदारी अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

संख्या 1/5, अप्रार्थी संख्या 8 हिस्सा 1/5, अप्रार्थी संख्या 9 हिस्सा 1/5, अप्रार्थी संख्या 10 हिस्सा 1/5 तथा प्रार्थी का भाई स्व0 रामेश्वर पुत्र स्व0 जगन्नाथ हिस्सा 1/5 दर्ज एवं अंकित चला आ रहा है। खाता संख्या नया 58 में रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा एवं खाता संख्या 58 में रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा एवं खाता संख्या नया 343 पुराना 317 में रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ के नाम से दर्ज 1/5 हिस्सा को इस वाद में विवादित हिस्सा भूमि शब्द से संबोधित किया जा रहा है।

प्रार्थी का भाई रामेश्वर पुत्र स्व0 जगन्नाथ लकवाग्रस्त था तथा उसकी पत्नि श्रीमती कमला ने अपने पति रामेश्वर का परित्याग करके अन्यत्र नाता विवाह कर लिया था। प्रार्थी के भाई रामेश्वर का देहान्त दिनांक 14–11–2017 को हो चुका है। रामेश्वर जीवनभर प्रार्थी के पास ही रहा था। प्रार्थी व उसकी पत्नि अप्रार्थीगण संख्या 8 ने ही रामेश्वर की सेवा–सुश्रृषा की थी, ईलाज, उपचार, दवाईयों की व्यवस्था की थी तथा रामेश्वर के पालन–पौषण, भरण–पोषण, सुरक्षा इत्यादि की जिम्मेदारियां प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 8 ने निर्वहन की थी। स्व0 रामेश्वर ने अपने जीवनकाल में रूबरू गवाहान विवादित हिस्सा भूमि की मौखिक वंसीयत दि0 11.11.2017 को प्रार्थी के पक्ष में कर दी थी। रामेश्वर ने अपने जीवनकाल में रामेश्वर के देहान्त होने पर उसका दाह

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

संस्कॉर, हरिद्वार व सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार पिण्डदान इत्यांदि की रश्म अदायगियां प्रार्थी ने ही सम्पन्न की थी। रामेश्वर के देहन्त के पश्चात उसकी पगड़ी भी प्रार्थी के ही बंधाई गई थी। रामेंश्वर ने अपने भाई प्रार्थी को ही अपना वारिस व उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ की विवादित हिस्सा भूमि पर प्रार्थी रामेश्वर के जीवनकाल में एंव उसकी मृत्यु के पश्चात निरन्तर आज तक काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 प्रार्थी के सगे भतीजे है तथा अप्रार्थी संख्या 6 प्रार्थी का सगा भाई है एंव अप्रार्थीगण संख्या 7 उक्त अप्रार्थी संख्या 6 की पत्नि व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की माता है जो प्रार्थी व उसके परिवार की खुशहाली व सुख–शान्ति से ईर्ष्या, द्वेष भावना रखते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 त्ता 3, 6 व 7 की नियत में खोट समाही हुई है जो येनकेन–प्रकारेण मृतक रामेश्वर की विवादित हिस्सा भूमि से प्रार्थी को बेदखल करके फर्जी तरीके से अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने पर उतारू है। इसी बदनियति से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपने आपको सर्वथा गलत व फर्जी तरीके से स्व0 रामेश्वर का दत्तक पुत्र बताकर राजस्व कारकुनान से मिलीभगत व साजबाज करके रामेश्वर की विवादित हिस्सा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1430 दिनांक 29–8–2019 विरासत के आधार पर स्वीकृत कराने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है जो प्रक्रियाधीन है। रामेश्वर ने अपने जीवनकाल में

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को कभी भी दत्तक ग्रहण नहीं किया, ना ही गोद की रश्म अदायगी की गई और ना ही गोद देने व गोद देने की रश्म अदायगी की गई। यहाँ यह अंकित करना समीचीन है कि अप्रार्थी संख्या 6 के कुंल तीन पुत्र है जो इस वाद में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 है। सुस्थापित विधि के तहत कोई भी पिता अपने सभी पुत्रो को गोद नहीं दे सकता और ना जी कोई भी व्यक्ति एक से अधिक चुन्नो को गोद ले सकता है। मौजूद्दी प्रकरण में रामेश्वर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को दत्तक ग्रहणः करने एंव अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा सभी पुत्रों को दत्तक देने का मामला उजागर इुंआ है जो गैरकानूनी एंव विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 6 व 7 को फर्जी व गलत कार्यवाही के आधार परमृतक रामेश्वर की खातेदारी की विवादित हिस्सा भूमि को हड़पने एंव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। इसके विपरीत प्रार्थी ने मृतक रामेश्वर की सेवा–सुश्रूषा की थी और ईलाज, उपचार, दवाईयो इत्यादि की व्यवस्था की थी तथा जीवनभर पालन–पोषण, भरण पोषण किया था और उसकी मृत्युपरान्त सभी क्रियाकर्म प्रार्थी ने ही सम्पन्न किये थे और उसकी पगड़ी भी प्रार्थी के ही बंधीं थी, इस आधार पर मृतक रामेश्वर के विवादित हिस्सा भूमि का एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी प्रार्थी ही है और प्रार्थी ही मृतक रामेश्वर के जीवनकाल से लेकर आज तक विवादित हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मृतक रामेश्वर की विवादित हिस्सा भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने का कानूनन हकदार व अधिकारी है। यहाँ यह भी अंकित करना समीचीन है कि प्रार्थी उक्त मृतक रामेश्वर का सगा भाई है, इस आधार पर भी वारिस व उत्तराधिकारी कानूनन है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति एंव परिस्थितियो के आधार पर प्रार्थी घोषणा खातेदारी की डिक्री विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि राजस्व ग्राम तीतरिया, पटवार हल्का तीतरिया, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र तीतरिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2665 रकबा 0.28 कुल किता 1 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर में प्रार्थी के भाई स्व0 रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ के नाम से दर्ज हिस्सा 1/3 एवं राजस्व ग्राम तीतरिया की सीमा में खसरा नम्बर 2497 रकबा 0.53 है0 खसरा नम्बर 2498 रकबा 0.05 है0 खसरा नम्बर 2499 रकबा 0.77 है0 खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.29 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.64 है0 में प्रार्थी के भाई रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ के नाम से दर्ज हिस्सा 1/5 का प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से प्रकियाधीन नामान्तकरण संख्या 1430 दिनांक दिनांक 29-8-2019 की कार्यवाही को अवैध एंव प्रभावशुन्य घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\KANARAAM VS ARJUN 144.docx

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 फर्जी, गलत, विधि विरूद्ध व गैरकानूनी तरीके से दत्तक उंते दर्शित करके मृतक रामेश्वर की हिस्सा भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से स्वीकृत करा कर खातेदारी अपने नाम से दर्ज कराने पर उतारू है और प्रार्थी को मौके पर से बाहुबल के आधार पर बेदखल करने पर उतारू है तथा गलत कार्यवाही में अप्रार्थी संख्या 6 व 7 अपने पुत्रो का सहयोग कर रहे है। दिनांक 30–8–2019 को अप्रार्थी संख्या 1, 3, 6 व 7 विवादित भूमि पर मौके पर आये और प्रार्थी को एलानियां धमकी दी कि इस आराजी में मृतक रामेश्वर के हिस्से का नामान्तरकरण हमने हमारे नाम से खुलवा लिया है, इसलिये हम स्व0 रामेश्वर के हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग तुम्हें नहीं करने देगें, तुम केवल मात्र अपने दर्ज हिस्से से अधिक उपयोग व उपभोग ना करे अन्यथा बाहुबल के आधार पर बेद्खल कर दिया जायेगा और मृतक रामेश्वर के हिस्से की खातेदारी दर्ज करवा कर बैचान हस्तान्तरण करके दीगरान को कब्जा संभला देगें। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है।

चूँकि अप्रार्थी संख्या 1, 3, 6 व 7 अपनी गैरकानूनी बैजा हरकतो से बाज नहीं आ रहें हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वह अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को मूल वाद के निस्तारण तक माननीय न्यायालय हाजा के जरिये इस

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दें कि राजस्व ग्राम तीतरिया, पटवार हल्का तीतरिया, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र तीतरिया, तहसील चाकसू, ज़िला जयपुर की सीमा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2665 रकबा 0.28 कुल किता 1 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर में प्रार्थी के भाई स्व0 रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ के नाम से दर्ज हिस्सा 1/3 एवं राजस्व ग्राम तीतरिया की सीमा में खसरा नम्बर 2497 रकबा 0.53 है0 खसरा नम्बर 2498 रकबा 0.05 है0 खसरा नम्बर 2499 रकबा 0.77 है0 खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.29 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.64 है0 में प्रार्थी के भाई रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ के नाम से दर्ज हिस्सा 1/5 में प्रार्थी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाघा, हस्तक्षेप, मदाखलत, मजाहमत. इत्यादि करने से निषेध रहे तथा अपने–अपने परिवारजन, एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि कोई भी निषेध रखे तथा उक्त आराजीयात अथवा उसके किसी भी भाग को विक्रय–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने, आम व खास मुखतयार नियुक्त करने से निषेद्ध रहें तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से प्रक्रियाधीन नामान्तरकरण संख्या 1430 दिनांकित 29–8–2019 की कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी व विधि विरूद्ध होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के हक में अथवा अन्य किसी के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत करने एंव

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

राजस्व अभिलेखो में किसी भी प्रकार की तब्दीली, परिवर्तन इत्यादि करने से निषेद्ध रहें तथा ना ही एक–दूसरे का फर्जी व गैरकानूनी कार्यवाही में किसी प्रकार का कोई सहयोग करे। राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाई रखें औपचारिक अप्रार्थी संख्या 12 से 21 विवादित भूमि के खाते में सह--खातेदार के रूप में खातेदार काश्तकार दर्ज है परन्तु इनके झझ हिस्से व खातेदारी में किसी प्रकार कोई विवाद नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है। चूँकि दावा घोषणा खातेदारी से संबंधित है इसलिये इन्हें औपचारिक अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि राजस्व ग्राम तीतरिया, पटवार हल्का तीतरिया, भू0अ0 निरीक्षक क्षैत्र तीतरिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर की सीमा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2665 रकबा 0.28 कुल किता 1 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर में प्रार्थी के भाई स्व0 रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ के नाम से दर्ज हिस्सा 1/3 एवं राजस्व ग्राम तीतरिया की सीमा में खसरा नम्बर 2497 रकबा 0.53 है0 खसरा नम्बर 2498 रकबा 0.05 है0 खसरा नम्बर 2499 रकबा 0.77 है0 खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.29 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.64 है0 में प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के भाई रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ के नाम से दर्ज हिस्सा 1/5 में प्रार्थी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा, हस्तक्षेप, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने से निषेध रहे तथा अपने–अपने परिवारजन, एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि कोई भी निषेध रखे तथा उक्त आराजीयात अथवा उसके किसी भी भाग को विक्रय–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने, आम व खास मुखतयार नियुक्त करने से निषेद्ध रहें तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से प्रक्रियाधीन नामान्तरकरण संख्या 1430 दिनांकित 29–8–2019 की कार्यवाही अवैध गैरकानूनी व विधि विरूद्ध होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के हक में अथवा अन्य किसी के हक में नामान्तरकस्ण स्वीकृत करने एंव राजस्व अभिलेखो में किसी भी प्रकार की तब्दीली, परिवर्तन इत्यादि करने से निषेद्ध रहे तथा ना ही एक दूसरे का फर्जी व गैरकानूनी कार्यवाही में किसी पकार का कोई सहयोग करे। राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाई रखे। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी तो अप्रार्थीगण हाजीर अदालत आये व प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र निम्नानुसार पेश किया गया कि

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रार्थना पत्र की मद सं० 1 गलत है, स्वीकार नही है प्रार्थना पत्र में सफलता की आशा करना मृग मरिचिका के समान है। प्रार्थना पत्र का मद नं० 2 जिस तरह वर्णित किया गया है वह राजस्व रिकार्ड का विषय है जिसका जवाब आवश्यक नही है किन्तु इस मद मे रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ के हिस्से को विवादित बताया जाना पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का मद नं० 3 गलत है स्वीकार नही है, केवल मृतक स्वं0 रामेश्वर की पत्नि कमला देवी के सम्बंध में वर्णित तथ्य स्वीकार है तथा स्व0 श्री रामेश्वर जी की मृत्यु होना स्वीकार है शेष समस्त तथ्य मिथ्या है जो स्वीकार नही है, स्व0 श्री रामेश्वर जी कभी भी प्रार्थी के पास नही रहे, .ना ही प्रार्थी ने उनका कोई इलाज उपचार आदि किया, ना ही स्व0 रामेश्वर जी ने प्रार्थी को कोई मौखिक वसीयत दिनांक 11.11.2017 की, ना ही उन्हे ऐसा करने की आवश्यकता थी, ना ही प्रार्थी ने का दाह संस्कार व पिण्डदान आदि किया, ना ही प्रार्थी के कभी भी ई पगडी बन्धी, इसके विपरीत मृतक रामेश्वर जी सदैव से ही मिन ६ अप्रार्थगण के साथ ही अर्थात अपने भाई रामकरण के साथ ही रहे उनका नाम राशन कार्ड सन 2004 एवं 2010 दोनो मे स्व0 श्री रामेश्वर जी का नाम मिन अप्रार्थगण के साथ अंकित है इसके अलावा भामाशाह कार्ड मे भी स्व0 रामेश्वर जी का नाम मिन अप्रार्थीगण के साथ अंकित है रामेश्वर ही जी के द्वारा जी गई

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

किसान केडिट कार्ड योजना, यूको बैंक खाता, विजया बैंक खाता सभी में उन्होने मिन अप्रार्थगण को अपने साथ नांमांकित किया, नोमिनी बनाया उसके अलावा रोजगार मांग पत्र में भी उक्त रामेश्वर जी मिन अप्रार्थगण के परिवार मे ही दर्शित है, अर्थात मृतक रामेश्वर जी स्पष्ट तोर पर मिन अप्रार्थीगण के परिवार के साथ रहे, मृतक रामेश्वर जी की सेवा सुश्रषा, दवा, पानी, इलाज, खान–पान, छपडे, दवाईया आदि सभी प्रकार के काम मिन अप्रार्थीगण के परिवार ने ही किये, स्वं0 रामेश्वर जी की मृत्यु के उपरान्त उनको अग्नि देने का काम भी मिन अप्रार्थी नं० 3 ने किया था, पगडी भी मिन अप्रार्थी नं0 3 के बंधी थी. 12 दिन के सारे किया कर्म भी मिन अप्रार्थीगण ने ही सम्पादित किये थे, हरिद्वार मे अस्थिया भी मिन अप्रार्थीगण ही लेकर गये थे। प्रार्थी नृतक रामेश्वर जी का बडा भाई था ऐसे मे हिन्दू मान्यताओं के अनुसार ना तो बडा भाई अग्नि देता है, ना ही बडे भाई के पगडी बंधती है, ना ही बडा भाई हरिद्वार अस्थिया लेकर जाता है इस प्रकार प्रार्थी के सारे कथन मिथ्या है प्रार्थी का यह कहना की स्व0 रामेश्वर जी ने कोई मौखिक वसीयत दिनांक 11.11.2017 को प्रार्थी के हक मे की हो पूर्णतया गलत है क्योकि मृतक रामेश्वर जी ने अपने जीवन काल मे ही सकुशल एक रजिस्टर्ड वसीयत अपनी समस्त चल अचल सम्पतियों बाबत दिनांक 05.05.

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

2017 को मिन अप्रार्थी नं0 1 से 3 के हक मे कर दी थी इस कारण प्रार्थी के कथन पूर्णतया मिथ्या व बनावटी है।

प्रार्थना पत्र का मद नं0 4 पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है, प्रार्थी का रामेश्वर जी की सम्पति पर ना तो कभी कब्जा काश्त रहा है ना ही प्रार्थी को बेदखल करने जेसी बात बिना कब्जे के सम्भव है, मिन अप्रार्थी नं0 1 से 3 ने कभी भी मृतक रामेश्वर जी का दत्तक पुत्र होना कथित नही किया है मिन अप्रार्थगण नं० 1 से 3 के हक में मृतक रामेश्वर जी की रजिस्टर्ड वसीयत है तथा मिन अप्रार्थगण नं0 1 से 3 ने वसीयत के आधार पर ही नामान्तकरण खुलवाने हेतु तहसीलदार चाकसू के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर तहसीलदार चाकसू ने धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण सख्या 33/18 दर्ज किया था जिसमे प्रार्थी सहित सभी लोगो को नोटिस भेजे गये थे तथा सभी पक्षो से गवाह सबूत लेकर तहसीलदार चाकसू ने अपना निर्णय दिनांक 25.03.2019 को पारित कर दिया तथा रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.05.2017 उपपंजीयक चाकसू के आधार पर मिन अप्रार्थगण नं0 1 से 3 के नाम नामान्तकरण खोलने के आदेश पारित कर दिये है जिसकी पालना मे ही नामान्तकरण भरे जा रहे है प्रार्थी ने बिना वजह ही दत्तक की बाते लिखी है ऐसे मे प्र्थी के इस मद के सभी तथ्य पूर्णतया मिथ्या है प्रार्थी का दावा इसी आधार पर खारिज होने योग्य

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है, वादग्रस्त आराजी मृतक रामेश्वर जी की स्वअर्जित सम्पति है जिनमें से खसरा नम्बर 2665 के साबिक खसरा नम्बर 838 थे जो जिनके पूर्व खातेदार सीताराम ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 27.06. 1985 उपपंजीयक चाकसू के द्वारा उक्त भूमि हिस्सा 1/5–1/5 मे प्रार्थी, रामकरण, रामेश्वर, को विकय की थी। एवं वर्तमान खसरा नम्बर 2466, 2497, 2498, 2499 जिनके साबिक खसरा नम्बर 837 थे को उसके पूर्व खातेदारों ने जरिये विकय पत्र दिनांक 09.01.1984 द्वारा प्रार्थी रामकरण, रामेश्वर, नान्छी जयराम को हिस्सा बराबर विकय किया था इस प्रकार चुकि स्वंय प्रार्थी भी मृतक रामेश्वर के साथ बराबर का केता था इस कारण उसे सम्पूर्ण तथ्यो का प्रारम्भ से ही ज्ञान है कि उक्त सम्पति मृतक रामेश्वर जी की स्वअर्जित सम्पति है तथा उन्हे उक्त सम्पति को हर प्रकार से हस्तानान्तरित करने का अधिकार प्राप्त है तथा उसी अधिकार के तहत मृतक रामेश्वर ने मिन अप्रार्थीगण नं० 1 से 3 को रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.05.2017 का की है तथा इस कारण प्रार्थी इस मद में चाहे गये किसी भी प्रकार का अनुतोष या मदद न्यायालय श्रीमान से प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

प्रार्थना पत्र का मद नं0 6 गलत है स्वीकार नही है, ना तो मिन अप्रार्थीगण ने कथित दत्तक के आधार पर कार्यवाही करी है

खण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

ना ही कोई धमकी दीं है इसके अलावा मिन अप्रार्थगण ने रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर सक्षम तहसीलदार के यहॉ आवेदन किया है, जो मिन अप्रार्थीगण नं० 1 से 3 के हक मे निर्णित हुआ है मौके पर कब्जा मिन अप्रार्थीगण का मृतक रामेश्वर जी के जीवनकाल से ही है इस कारण मौके पर आना, धमकी देना जेसी बाते मिथ्या व गलत है। प्रार्थना पत्र का मद नं० 7 गलत है स्वीकार नही है ना तो प्रार्थी का कोई कब्जा है, ना ही कोई कानूनी हक है ऐसे मे प्रार्थी किसी भी प्रकार की सहायता न्यायालय श्रीमान से प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 8 कानूनी है जवाब का मोहताज नहीं है।

विशेष आपत्ति

प्रार्थी का मृतक रामेश्वर जी के हिस्से की सम्पति पर किसी भी प्रकार का कब्जा व उपयोग उपभोग नही है इस कारण कब्जे के अभाव मे केवल घोषणा खातेदारी का दावा चलने योग्य नहीं होने, के कारण खारिज होने योग्य है।

मृतक रामेश्वर ने वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 27.06.1985 उपपंजीयक चाकसू द्वारा कय की है तथा उक्त स्वअर्जित सम्पतियो को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.05.2017 उपपंजीयक चाकसू द्वारा मिन अप्रार्थगण नं0 1 से 3 के

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

हक मे वसीयत की है इस कारण बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये उक्त दावा कानूनन बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज होने योग्य है। रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.05.2017 के आधार पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार चाकसू ने पत्रावली नं० 33/18 मे अपना निर्णय दिनांक 25.03.2019 को पारित किया है जो कि अन्तिम है इस कारण भी प्रार्थी का दावा प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि प्रार्थी का भाई रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ लकवाग्रस्त था जिसका देहान्त 14.11.17 को हो चुका है। रामेश्वर जीवनभर प्रार्थी के पास रहा है। प्रार्थी व उसकी पत्नि अप्रार्थीगण संख्या 11 ने ही रामेश्वर की सेवा सुश्रुषा की थी, रामेश्वर की सुरक्षा इत्यादि की जिम्मेदारी प्रार्थी ने निर्वहन की थी, स्व0 रामेश्वर ने अपने जीवन काल में रूबरू गवाहान विवादित हिस्सा भूमि की मौखिक वसीयत दिनांक 11.11.2019 को प्रार्थी के पक्ष में कर दी थी। रामेश्वर के देहान्त के पश्चात उसकी पगडी भी प्रार्थी के बंधाई थी, रामेश्वर ने अपने भाई प्रार्थी को ही

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अपना वारिस व उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ की विवादित हिस्सा भूमि पर प्रार्थी रामेश्वर के जीवनकाल में एवं मृत्यू पश्चात निरंतर आज तक काबित काश्त चला आ रहा है, अप्रार्थीगण ऐन केन प्रकारेण मृतक रामेश्वार की विवादित हिस्सा भूमि से प्रार्थी को बेदखल करके फर्जी तरीके से अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने पर उतारू है। इसी बदनियति से अप्रार्थी 1 से 3 ने अपने आपको सर्वथा गलत व फर्जी तरीके से स्व0 रामेश्वर की विवादित हिस्सा भूमि अपने नाम कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, रामेश्वर ने अपने जीवन काल में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को कभी भी दत्तक ग्रहण नही किया ना ही गोद की रस्म की अप्रार्थी संख्या 6 के कुल तीन पुत्र है जो विधि के तहत कोई भी पिता अपने सभी पुत्रो को गोद नही दे सकता ना ही कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पुत्रों को गोद ले सकता, इस प्रकार अप्रार्थीगण फर्जी व गलत कार्यवाही के आधार पर मृतक रामेश्वर की खातेदारी विवादित हिस्सा भूमि को हडपने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने का कोई विधिक अधिकार हासिल नही मृतक रामेश्वर के विवादित हिस्सा भूमि का एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी प्रार्थी ही है और प्रार्थी ही मृतक रामेश्वर के जीवनकाल से लेकर आज तक विवादित हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। मृतक रामेश्वार की भूमि अपने नाम कराने का हकदार है, प्रार्थी मृतक रामेश्वर का सगा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

भाई है इस आधार पर भी वारिस व उत्तराधिकारी कानूनन है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद स्थगन आदेश कनफर्म फरमाया जावे।

जवाब बहस में अप्रार्थी वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि स्व0 श्री रामेश्वर जी कभी भी प्रार्थी के पास नही रहे ना ही प्रार्थी ने उनका कोई इलाज उपचार आदि किया ना ही स्व0 रामेश्वर जी ने प्रार्थी को कोई मौखिक वसीयत दिनांक 11.11.2017 को की ना ही उन्हे ऐसा करने की आवश्यकता थी, ना ही प्रार्थी ने उनका दाह संस्कार न ही प्रार्थी के पगडी बंधी जबकि मृतक रामेश्वर जी सदैव से अप्रार्थीगण के साथ ही अर्थात अपने भाई रामकरण के साथ ही रहे उनका नाम राशन कार्ड संख्या 2004 से 2010 दोनो में स्व0 रामेश्वर जी का अप्रार्थी के साथ अंकित है इसके अलावा भामाशाह कार्ड में भी स्व0 रामेश्वर का नाम अप्रार्थीगण के साथ अंकित है। रामेश्वर जी के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, यूको बैंक खाता संख्या, विजया बैंक खाता सभी में मिन अप्रार्थीगण को अपने साथ नामांकित किया है व नोमिनी बनाया है व रोजगार मांग पत्र में भी उक्त रामेश्वर जी मिन अप्रार्थीगण के परिवार में दर्शित है। इस प्रकार रामेश्वर जी स्पष्ट तोर पर अप्रार्थीगण के परिवार के साथ रहे है। रामेश्वर जी की मृत्यू उपरांत उनको अग्नि देने का काम भी मिन अप्रार्थी नम्बर 3 ने

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

किया था पगडी भी अप्रार्थी नम्बर 3 के बंधी थी, 12 दिन के सारे किया क्रम भी अप्रार्थीगण ने ही सम्पादित किये है। प्रार्थी मृतक रामेश्वर का बडा भाई था, हिन्दू मान्यताओं के अनुसार ना तो बडा भाई अग्नि देता है ना ही बडे भाई के पगडी बंधती है, प्रार्थी ने सारे कथन मिथ्या है, प्रार्थी का यह कहना कि रामेश्वर ने कोई मौखिक वसीयत दिनांक 11.11.2017 को प्रार्थी के हम में की हो पूर्णतया गत है, क्योंकि मृतक रामेश्वर ने अपने जीवनकाल में सकुशल एक रजिस्टर्ड वसीयत अपनी चल अचल सम्पत्तियों बाबत दिनांक 05.05. 2017 को मिन अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के हक में कर दी प्रार्थी का रामेश्वर की सम्पत्ति पर ना तो कभी काश्त रहा ना ही प्रार्थी को बेदखल करने जैसी बात बिना कब्जे के संभव है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने कभी भी मृतक रामेश्वर जी का दत्तक पत्र होना बताया है अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के हक में मृतक रामेश्वर जी की रजिस्टर्ड वसीयत है रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ही नामान्तकरण खुलवाने हेतु तहसीलदार के यहॉ प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर तहसीलदार ने 135(32) भू0रा0 अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर गवाह सबूत लेकर 25.03.2019 को निर्णय पारित कर दिया रजिस्टर्ड वसीयत 05.05.17 उपपंजीयक चाकसू के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 स 3 के नामान्तकरण खोलने के आदेश पारित कर दिये, दत्तक पुत्र की बाते मिथ्या व गलत है, उक्त सम्पत्ति मृतक रामेश्वर की

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

स्व0 अर्जित सम्पत्ति है तथा उन्हें उक्त सम्पत्ति को हर प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार प्राप्त है। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर प्रार्थी न्यायालय से अनुतोष पाने का अधिकारी नही हे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पक्षकारान वकील की बहस पर गोर किया व प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो प्रार्थी/अप्रार्थी का भाई रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ लकवाग्रस्त था तथा उसकी पत्नि श्रीमती कमला ने अपने पति रामेश्वर का परित्याग करके अन्यत्र चली गयी, रामेश्वर का देहान्त दिनांक 14.11.17 को ही हो चुका प्रार्थना पत्र के अनुसार रामेश्वर जीवन भर प्रार्थी के पास ही रहा, प्रार्थी व उसकी पत्नि अप्रार्थीगण संख्या 11 ने ही रामेश्वर की सेवा सुश्रुषा की रामेश्वर के पालना पोषण भरण पोषण सुरक्षा इत्यादि की जिम्मेदारी प्रार्थी की रामेश्वर अपने जीवनकाल मे रूबरू गवाहान विवादित हिस्सा भूमि की मौखिक वसीयत 11.11.2007 को प्रार्थी के पक्ष में कर दी रामेश्वर का देहान्त होने प. सारे कार्यक्रम प्रार्थी ने ही किये रामेश्वर की पगडी भी प्रार्थी के ही बंधना बताया गया रामेश्वर ने प्रार्थी को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था जबकि वादग्रस्त सम्पत्ति रामेश्वर की स्वअर्जित सम्पत्ति होने पर मृतक रामेश्वर ने अप्रार्थी नम्बर 1 से 3 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.05.2017 को कर दी व

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

मृतक रामेश्वर सदैव से अप्रार्थीगण के साथ अर्थात अपने भाई रामकरण के साथ रहे है जिनका नाम राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजो में उनके साथ है, जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार रामेश्वर जी अप्रार्थीगण के साथ रहे व रामेश्वर जी का स्वर्गवास होने पर सारे कार्यक्रम अप्रार्थीगण द्वारा ही किया जाना अवगत कराया गया है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो पक्ष ही रामेश्वर जी को अपने पास रहना व मृत्यू होने पर सारे कार्यक्रम एक दूसरे से किया जाना बताया जा रहा है जो दोनो पक्ष ही अपने पक्ष में वसीयत होना बता रहे है प्रार्थी तो मौखिक वसीयत अपने पक्ष में बता रहा है जबकि अप्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत अपने पक्ष में बता रहा है उक्त समस्त तथ्यों का निराकरण गवाह सबूत दावे में लिखा जाकर निस्तारण किया जा सकेगा, जिसमें सारे तथ्यों का निराकरण हो जावेगा तब तक वादग्रस्त भूमि किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नही हो व उसकी यथा स्थिति बनी रही उसके लिये स्थगन आदेश कन्फर्म किया जाना उचित समझते है ताकि दोनो पक्षो में उक्त किसी प्रकार विवाद नही बढे। उपरोक्त विवेचना अनुसार सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना प्रार्थी का ताफैसला कन्फर्म किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्थगन आदेश दिनांक 02.09.2019 का ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.05.22 15:33:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: